

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्डुनू

पीठासीन अधिकारी :- हवाई सिंह यादव आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 75/2012,

बाबूलाल वगै० बनाम सोनी देवी वगै०

वादीगण की ओर से अधिवक्ता कायम सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 13.05.2025 को हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुन्डुनू के सम्मक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम/कस्बा झुन्डुनू तहसील व जिला झुन्डुनू की सरहद में स्थित हाल भूमि खसरा नम्बर 763 रकबा 1.55 हैक्टर, 764 रकबा 0.03 हैक्टर, 765 रकबा 1.35 हैक्टर, 766 रकबा 0.91 हैक्टर, 767 रकबा 1.65 हैक्टर, खसरा नं. 738 रकबा 0.22 हैक्टर, 739 रकबा 1.83 हैक्टर, 741 रकबा 1.90 हैक्टर, 742 रकबा 0.36 हैक्टर, 743 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नं. 1808 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नं. 1959 रकबा 2.27 हैक्टर, खसरा 1960 रकबा 0.50 हैक्टर, 1961 रकबा 1.60 हैक्टर के राजस्व रिकॉर्ड से चावली पत्नी कुम्मा का नाम हजफ किया जाकर उसके 1/4 हक हिस्से में उसके स्थान पर वादीगण 1 व 2 प्रत्येक को 1/3 हिस्से का व वादीगण 3 व 4 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पचा डिक्री आज दिनांक 13.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत की मोहर द्वारा मुतिब किया गया।



हवाई सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी, झुन्डुनू  
(राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	3	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिशनर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
योग	4	मुतफरिक	
		योग	

हवाई सिंह यादव  
(हवाई सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी, झुन्डुनू  
(राज.)